आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

REC Limited | आर ई सी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाषः +91 124 444 1300 | वेबसाइटः www.recindia.nic.in
सीआईएनः L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2026/2991 **दिनांक: 25 अगस्त , 2026**

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई –400 051	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	**Corporate Relationship Department** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय : मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को आयोजित आरईसी लिमिटेड ("आरईसी"/"कंपनी") की 57वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") की कार्यवाही।

महोदय/ महोदया,

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी"/"कंपनी") की 57वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम के द्वारा आयोजित की गई। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 30 के साथ पठित अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी की 57वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही **अनुलग्नक-1** के रूप में इसके साथ संलग्न है।

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44(3) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार, मतदान हेतु प्रस्तुत विषयों के परिणाम पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे।

यह आपकी जानकारी के लिए है ।

धन्यवाद ,

भवदीय,
कृते आरईसी लिमिटेड
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

<u>**अनुलग्नक-1**</u>

मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम के द्वारा आयोजित आरईसी लिमिटेड की 57वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, उसके अधीन बनाए गए नियमों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय **(“एमसीए”)** द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुरूप, **आरईसी लिमिटेड ("आरईसी"/"कंपनी")** की 57वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (भारतीय मानक समय)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("वीसी"/"ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की गई।

निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (बैठक के अध्यक्ष)
2. श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष , निदेशक (परियोजना)
3. श्री राजेश कुमार, निदेशक (वित्त)
4. श्री शशांक मिश्र, सरकारी नामित निदेशक
5. श्री राजेश कुमार अग्रवाल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("पीएफसी") के नामित निदेशक।
6. डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक तथा लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष
7. डॉ. के. गायत्री देवी, स्वतंत्र निदेशक तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की अध्यक्ष
8. श्रीमती पूनम चौहान, स्वतंत्र निदेशक तथा हितधारक संबंध समिति की अध्यक्ष

श्री दिनेश गर्ग, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, सांविधिक लेखापरीक्षकों(अर्थात् मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी तथा मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी) के प्रतिनिधि भी सभा में उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, सचिवीय लेखापरीक्षक मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स के श्री सचिन अग्रवाल भी बैठक में उपस्थित थे।

श्री मनीष कुमार अग्रवाल, आरईसी की धारक कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के प्रतिनिधि, भी बैठक में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त, 168 अन्य शेयरधारकों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लिया।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के साथ पठित अनुसूची-III के अनुसार, आरईसी की 57वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार रही :

I. प्रारंभ में, कंपनी सचिव ने आभासी माध्यम से आयोजित की जा रही कंपनी की 57वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का स्वागत किया। उन्होंने शेयरधारकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने तथा वहां ई-वोटिंग करने संबंधी सामान्य निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, अन्य निदेशकों तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के प्रतिनिधि का भी परिचय कराया।उन्होंने यह भी अवगत कराया कि वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित सांविधिक रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे अवगत कराया कि बैठक के लिए अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित है। तत्पश्चात, उन्होंने अध्यक्ष से वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध किया।

II. श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव ने अध्यक्षता ग्रहण की तथा बैठक में उपस्थित सभी शेयरधारकों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित होने पर अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की। अध्यक्ष ने कहा कि कंपनी द्वारा शेयरधारकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने तथा प्रस्तावित संकल्पों पर अपने मत प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु सभी संभव प्रयास किए गए हैं। तत्पश्चात, अध्यक्ष ने शेयरधारकों को संबोधित किया तथा अपने वक्तव्य में अन्य बातों के साथ भारत की सशक्त ऊर्जा वृद्धि यात्रा, वित्तीय निष्पादन, निधि जुटाव, जोखिम प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता को प्रोत्साहन, ईएसजी उत्कृष्टता, समझौता ज्ञापन (एमओयू) रेटिंग एवं पुरस्कार, मिशन-आधारित प्रशासन एवं नवाचार के माध्यम से भारत का ऊर्जा संक्रमण, मानव संसाधन एवं कार्य-संस्कृति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व में नेतृत्व, विकसित भारत की दिशा में योगदान तथा आरईसी का पीएफसी में विलय जैसे विषयों पर प्रकाश डाला।

III. तत्पश्चात, अध्यक्ष ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आरईसी की तीसरी पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रशासन (ईएसजी) रिपोर्ट का विमोचन किया, जो कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है : https://recindia.com/uploads/files/co-esg-Final-ESG-Report-15082026.pdf.

IV. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पढ़ने का अनुरोध किया।

V. कंपनी सचिव ने अवगत कराया कि 57वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना उन सभी शेयरधारकों तथा सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिनकी ई-मेल पहचानियां निक्षेपागार सहभागियों अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) के अभिलेखों में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, उन शेयरधारकों तथा सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों, जिन्होंने अपनी ई-मेल पहचानियां निक्षेपागार सहभागियों अथवा आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं कराई हैं, को वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंच के लिए वेबसाइट लिंक एवं क्यूआर कोड सहित एक पत्र भी प्रेषित किया गया है।उन्होंने उल्लेख किया कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है तथा उन्होंने बिना किसी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण के अपनी रिपोर्ट प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन एवं समेकित) वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणियां प्रदान की हैं।

VI. कंपनी सचिव ने आगे अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट में सचिवीय लेखापरीक्षकों ने यह टिप्पणी की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुछ अवधि के लिए निदेशक मंडल तथा उसकी कुछ समितियों की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या सम्मिलित नहीं थी।

VII. इस संबंध में कंपनी सचिव ने अवगत कराया कि आरईसी एक सरकारी कंपनी है तथा इसके अंतर्नियमों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है तथा सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधन की विस्तृत प्रतिक्रिया वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

VIII. तत्पश्चात, कंपनी सचिव ने 57वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में सम्मिलित साधारण एवं विशेष कार्यों की मदों का वाचन किया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

मद संख्या	विवरण	संकल्प का प्रकार
साधारण व्यवसाय		
1.	31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरणों, उन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें अनुमोदित एवं अंगीकृत करना।	साधारण संकल्प
2.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अंतरिम लाभांश के भुगतान का संज्ञान लेना तथा अंतिम लाभांश घोषित करना।	साधारण संकल्प
3.	श्री शशांक मिश्र (डीआईएन : 08364288), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं तथा पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र हैं और स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना।	साधारण संकल्प
4.	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करना।	साधारण संकल्प
विशेष व्यवसाय		
5.	श्री थंगराजन सुभाष चंदिरा बोष (डीआईएन : 02772316) की निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्ति।	साधारण संकल्प
6.	श्री राजेश कुमार (डीआईएन : 06941428) की निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति।	साधारण संकल्प
7.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (डीआईएन : 09699001) की निदेशक ("पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामित निदेशक") के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन करना।	साधारण संकल्प
8.	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता (डीआईएन: 00442146) की अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	विशेष संकल्प
9.	डॉ. कंचियप्पन गायत्री देवी (डीआईएन : 07584524) की अंशकालिक गैर-शासकीय स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	विशेष संकल्प
10.	श्रीमती पूनम चौहान (डीआईएन : 11842802) की अंशकालिक गैर-शासकीय स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	विशेष संकल्प
11.	प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के लिए अनुमोदन।	विशेष संकल्प

IX. कंपनी सचिव ने अवगत कराया कि लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने उन सभी शेयरधारकों को, जो कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 18 अगस्त, 2026 की स्थिति के अनुसार शेयर धारित कर रहे थे, 57वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मत प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु शनिवार, 22 अगस्त, 2026 (0900 बजे) से सोमवार, 24 अगस्त, 2026 (1700 बजे) तक दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई थी।उन्होंने आगे अवगत कराया कि जो शेयरधारक दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मत प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, वे एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए वार्षिक आम बैठक के दौरान अपने मत प्रदान कर सकेंगे।उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों के श्री सचिन अग्रवाल को वार्षिक आम बैठक के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है, जो दूरस्थ ई-वोटिंग तथा वार्षिक आम बैठक के दौरान की गई ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए मतों की जांच करेंगे।

X. वार्षिक आम बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-वोटिंग तथा वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से डाले गए मतों को समेकित करके मतदान परिणाम निर्धारित किए जाएंगे। समेकित परिणाम निर्धारित सांविधिक समय-सीमाओं के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाएंगे तथा कंपनी की वेबसाइट (https://recindia.com.) और एनएसडीएल के मंच (https://www.evoting.nsdl.com.) पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

XI. तत्पश्चात, वार्षिक आम बैठक के लिए 'वक्ता' के रूप में पूर्व-पंजीकृत शेयरधारकों को प्रबंधन के साथ अपने विचार साझा करने तथा अपने प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया। शेयरधारकों ने कंपनी के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक निष्पादन तथा वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांशों की सराहना की। इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों ने आरईसी एवं पीएफसी के विलय, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, भावी कार्ययोजना, ईएसजी रेटिंग, उधार रणनीति तथा कंपनी के व्यवसाय एवं परिचालनों से संबंधित अन्य विषयों पर प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों का कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा समुचित उत्तर दिया गया। अध्यक्ष ने कंपनी के कार्यकलापों में गहन रुचि लेने के लिए शेयरधारकों का धन्यवाद किया।

XII. प्रश्नोत्तर सत्र के पश्चात, कंपनी सचिव ने अवगत कराया कि सदस्यों को अपने मत प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु प्रस्तावित संकल्पों पर मतदान की प्रक्रिया बैठक की समाप्ति के पश्चात अतिरिक्त 15 मिनट तक खुली रखी जाएगी।

XIII. अन्य कोई कार्य विचारार्थ शेष न होने पर, श्री दिनेश गर्ग, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी ने अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

तत्पश्चात, अध्यक्ष ने बैठक के कार्य की समाप्ति की घोषणा की।

बैठक का समापन अपराह्न 12:07 बजे (भारतीय मानक समय) हुआ।

******